

भारतीय खाद्य निगम

FOOD CORPORATION OF INDIA

क्षेत्रीय कार्यालय, REGIONAL OFFICE

टी०सी०/3 वी०, विभूति खण्ड, T.C./3V Vibhuti Khand

गोमती नगर, लखनऊ, Gomti Nagar, Lucknow-226010



वाणिज्य अनुभाग: Commercial Section

Phone No.-0522-4914232, 4914229

Fax No.-0522-4914232, 4914264

E-mail Id-agmcommlup.fci@nic.in

संख्या: जे/12(1)/एम.डी.एम./2014-15

दिनांक: 13.06.2014

सेवा में,

क्षेत्र प्रबंधक

भारतीय खाद्य निगम

जिला कार्यालय

आगरा, अलीगढ़, अल्लाहाबाद, आजमगढ़, बाँदा, बरेली, बुलन्दशहर, फैजाबाद, गोंडा, गोरखपुर, हापुड़, झाँसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, सीतापुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, वाराणसी

विषय: वित्तीय वर्ष 2014-15 की द्वितीय तिमाही हेतु माध्याह्न भोजन योजनन्तर्गत खाद्यान्न के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हमारे मुख्यालय ने अपने पत्रांक 26/1/2014-15/एम.डी.एम./सेल्स दिनांक 14 फरवरी 2014 के द्वारा अवगत कराया है की मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने पत्रांक 5-1/2014-डेस्क(एम.डी.एम.) दिनांक: 05.02.2014 (दोनों पत्रों की छायाप्रति संलग्न) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 की द्वितीय तिमाही हेतु माध्याह्न भोजन योजनन्तर्गत प्राइमरी कक्षा हेतु 21484.60 मी.टन गेहूँ तथा 41705.40 मी.टन चावल एवं अपर प्राइमरी कक्षा हेतु 12311.40 मी.टन गेहूँ तथा 23898.60 मी.टन चावल तथा एन.सी.एल.पी. योजना में 84.13 मी.टन गेहूँ एवं 163.30 मी.टन चावल का आवंटन दिया है जिसके सापेक्ष उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने अपने पत्रांक 709/79-6-2014 दिनांक 11.06.2014 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा प्राइमरी कक्षा हेतु 21285.953 मी.टन गेहूँ तथा 41320.413 मी.टन चावल एवं अपर प्राइमरी कक्षा हेतु 12194.083 मी.टन गेहूँ तथा 23670.950 मी.टन चावल तथा एन.सी.एल.पी. योजना में 84.13 मी.टन गेहूँ एवं 163.30 मी.टन चावल का जनपदवार आवंटन दिया है।

अतः आप से अनुरोध है की उप सचिव के पत्रानुसार आवंटित खाद्यान्न की मात्रा बी.पी.एल. दर पर अन्य लागू होने वाले टैक्स लेने के बाद वैद्यता अवधि 25.09.21 तक राज्य सरकार को जारी करने का कष्ट करें। खाद्यान्न के मूल्य का भुगतान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्रांक 5-15/2009-डेस्क(एम.डी.एम.) दिनांक: 10.02.2010 के अनुसार सम्बंधित जिला प्राधिकारियों द्वारा भारतीय खाद्य निगम से बिल मिलने के 20 दिनों भीतर किया जायेगा। कृपया सुनिश्चित करें की उक्त योजनान्तर्गत खाद्यान्न का निर्धारित मात्रा से अधिक उठान न हो एवं उठान की गयी मासिक मात्रा से क्षेत्रीय कार्यालय को नियमित रूप से अवगत कराये।

भवदीय

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

(अनिल कुमार वर्मा)

सहायक महाप्रबंधक (वाणिज्य)

कृते उप महाप्रबंधक (वाणिज्य)

प्रतिलिपि:

1. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

2. निदेशक, माध्याह्न भोजन योजना, तृतीय तल, अपट्रान बिल्डिंग, गोमती नगर, लखनऊ

कृते उप महाप्रबंधक (वाणिज्य)